

शाहिद हुसैन बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 131/2020

21.09.20

अपीलार्थी शाहिद हुसैन फारूकी, पता म.सं. 1 अ 12, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 24.06.20 में उसके द्वारा (1) श्रीमान् तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा कार्यालय पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/342 दिनांक 30.01.20 द्वारा श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर-प्रथम) जोधपुर को पेश की गई उक्त रिपोर्ट के संबंध में क्या भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा सादिक मोहम्मद पुत्र तारिक हुसैन की हैसियत की जांच करते समय कोई दस्तावेज साक्ष्य एकत्रित किये, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

